(क)

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संचिका–11 / नि0 2–13 / 91 (अंश–I) – 799 पटना, दिनांक : 07/07/09

भारत संविधान के अनुच्छेद 243 छ सपठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्–माध्यमिक एवं उच्चत्तर–माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–
   (1) यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उप नियम (i) का संशोधन–उक्त नियमावली के नियम 8 का उप नियम (i) "ग" एवं (ii) "ग" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(i) "ग" – प्रत्येक तीन वर्षों पर (कुल दो बार) नियोजन कालावधि के बाद इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) के आधार पर सामान्य कोटि में न्यूनतम 45% एवं आरक्षित कोटि में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों (प्रशिक्षित) के वेतन में रूपये 600 (छः सौ रूपये) तथा जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों (अप्रशिक्षित) के वेतन में 500 (पाँच सौ रूपये) वृद्धि की जायेगी। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। सामान्य कोटि में 45% से नीचे तथा आरक्षित कोटि में 40% से नीचे अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अंक में सुधार हेतु छः माह के उपरान्त एक अतिरिक्त मौका दिया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को उनके नियोक्ता के द्वारा सेवा से हटा दिया जायेगा।

(ii) "ग" - प्रत्येक तीन वर्षों पर (कुल दो बार) नियोजन कालावधि के बाद इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) के आधार पर सामान्य कोटि में न्यूनतम 45% एवं आरक्षित कोटि में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले जिला परिषद् उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों (प्रशिक्षित) के वेतन में रूपये 700 (सात सौ रूपये) तथा जिला परिषद् उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों (अप्रशिक्षित) के वेतन में 600 (छः सौ रूपये) वृद्धि की जायेगी। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। सामान्य कोटि में 45% से नीचे तथा आरक्षित कोटि में 40% से नीचे अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अंक में सुधार हेतु छः माह के उपरान्त एक अतिरिक्त मौका दिया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को उनके नियोक्ता के द्वारा सेवा से हटा दिया जायेगा।

39 441

37

3. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम 8 (iii) (ग) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(8) (iii) (ग) – प्रत्येक तीन वर्षों पर (कुल दो बार) नियोजन कालावधि के बाद इस नियमावली के अधीन नियोजित पुस्तकालयाध्यक्षों का यथा निर्देशित मूल्यांकन (दक्षता जाँच किया जायेगा) के आधार पर समान्य कोटि में न्यूनतम 45% एवं आरक्षित कोटि में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले जिला परिषद् पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में रूपये 600 (छः सौ रूपये) वृद्धि की जायेगी। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। समान्य कोटि में 45% से नीचे तथा आरक्षित कोटि में 40% से नीचे अंक प्राप्त करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों को अंक में सुधार हेतु छः माह के उपरान्त एक अतिरिक्त मौका दिया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों को उनके नियोक्ता के द्वारा सेवा से हटा दिया जायेगा।

4. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम 15 का संशोधन :– उक्त नियमावली का नियम 15 निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15– ''इस नियमावली के अधीन नियोजन एवं सेवा शर्त्त से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के मामले में जिला स्तर पर सरकार द्वारा एक या एक से अधिक सदस्यों की गठित अपीलीय प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्त्त का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन सेवानिवृत बिहार न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/7/09

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11/नि0 2–13/91 (अंश–I) –799 पटना, दिनांक : 07/07/09/

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

6/7/09

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11/नि0 2–13/91 (अंश–I) –799 पटना, दिनांक : 07/07/09/

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय आयुक्त/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/7/09

प्रधान सचिव